भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5512

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन

†5512. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत कितने शहरों का चयन किया गया है और उनके चयन का चरणवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन में किन्ही चुनौतियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधि के उपयोग, परियोजना में विलंब और एजेंसियों के बीच समन्वय से संबंधित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में किसी स्मार्ट शहरों ने आबंटित निधि के संबंध में लागत में वृद्धि अथवा कम उपयोग किए जाने की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के स्मार्ट शहरों में चुनौतियों और कमियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार को महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निधि संवितरण अथवा उपयोग में विलंब का सामना करना पड़ा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधि की जिलावार और परियोजनावार स्थिति क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के स्मार्ट शहरों में निधि के कुप्रबंधन संबंधी मामलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत 08 शहरों *अर्थात* राउंड-1 में पुणे और सोलापुर, राउंड-2 में औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपुर, नासिक और ठाणे तथा राउंड-3 में पिंपरी-चिंचवाड़ का चयन किया गया।

(ख) और (ग) जैसा कि एससीएम के अंतर्गत आने वाले शहरों द्वारा बताया गया है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों में अन्य समस्याओं के साथ-साथ कानूनी मुद्दे, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, छोटे और मझौले शहरों में विक्रेता और संसाधन की उपलब्धता में चुनौतियां, कुछ शहरों में निर्णय लेने का केंद्रीकरण, सभी नगर विभागों और एजेंसियों के एकीकरण के साथ आईसीसीसी की पूरी क्षमता का उपयोग, परियोजनाओं को बार-बार बदलना और छोड़ना शामिल हैं।

(घ) अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ड.) एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की एक बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। शहरी स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के बीच सलाह देने और सहयोग को संभव बनाने

के उद्देश्य से सभी 100 स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना का प्रावधान है ।

(च) से (ज) अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

*****